Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, Impact Factor: 6.280, Volume 11, No. 01, January-March 2021, pp. 103-108

राजस्थान के लघु उद्योगों के विकास में राजसिको का योगदान

डॉ. हवा भंवर शेखावत*

सार

भारतीय अर्थव्यवस्था प्रारंभिक काल से ही औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ी हुई रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में नियोजित आर्थिक विकास की योजना को अपनाया गया। जिससे राष्ट्रीय उत्पाद में विकास की ऊँची दर, रोजगार सुविधाओं का विस्तार आया और उत्पत्ति के साधनों का अधिकाधिक समान वितरण तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास जैसे सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण उपकरण तीव्र औद्योगिकरण है । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर अनेक विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की स्थापना का क्रम आरम्भ किया गया। इस दृष्टि से सर्वप्रथम 1948 में ''भारतीय औद्योगिक वित्त निगम'' की स्थापना की गई। इसके पश्चात् राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अन्तर्गत राज्य स्तर पर वित्तीय निगम स्थापित किय गये। जनवरी 1955 में अखिल भारतीय स्तर पर ''भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम'' की स्थापना की गई थी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पश्चात् यह अनुभव किया गया कि यद्यपि राज्य स्तर पर वित्तीय निगमों की व्यापक श्रृंखला स्थापित हो चुकी है लेकिन राज्य स्तर पर औद्योगिक इकाइयों को प्रवृत्त करने और औद्योगिक विकास को उचित गति प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर विकास निगमों की स्थापना करना आवश्यक हो गया था। इसी संदर्भ में विभिन्न राज्यों में राज्य स्तरीय औद्योगिक विकास निगम स्थापित की जा चुके थे। देश के लद्यु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकारों द्वारा लद्यु उद्योग निगमों की स्थापना की गई। इसी तर्ज पर राजस्थान में भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन 3 जून 1961 को राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है जो प्रदेश का सबसे पुराना शासकीय निगम है तथा इसके उद्देश्य बहुआयामी है। इस निगम द्वारा प्रदेश की लद्यु औद्योगिक इकाइयों को कच्चा माल उपलब्ध करवाने, विपणन सुविधा प्रदान करने, आयात–निर्यात व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एयर कार्गो तथा इनलैण्ड कन्टेनर डिपो की स्थापना की गई है । निगम द्वारा प्रदेश के हस्तशिल्प व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए हस्तशिल्पियों के द्वारा निर्मित सामान के विपणन हेतु देश के अनेक स्थानों में राजस्थली विक्रय केन्द्रों की स्थापना की गई है तथा देश के बड़े शहरों में राजस्थली विक्रय काउन्टरों का संचालन किया जा रहा है। निगम लद्यु उद्योगों, हस्तशिल्प व्यवसाय, हैण्डीक्रफ्ट व्यवसाय तथा आयात–निर्यात जैसे महत्वपूर्ण कार्यो के द्वारा प्रदेश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मुख्य शब्दः औद्योगिक विकास, लघु उद्योग, राजसिको, सार्वजनिक क्षेत्र, हस्तशिल्प।

प्रस्तावना

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राजस्थान अनेक रियासतों में बंटा हुआ था। इसके पश्चात् 18 फरवरी, 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली राज्यों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। 25 मार्च, 1948 को बांसावाड़ा, बूंदी, डूंगरपूर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा तथा टोंक को राजस्थान संघ में मिला

* एसिस्टेन्ट प्रोफेसर (व्यवसायिक प्रबन्ध), सोनादेवी सेठिया गर्ल्स पी.जी. कॉलेज, सुजानगढ़, राजस्थान।

दी गई और उसका संयुक्त राजस्थान नाम रख दिया गया। 30 मार्च, 1949 को बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर तथा जोधपुर रियासतों को संयुक्त राजस्थान में मिला कर वृहत्त राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। 15 मार्च 1949 मत्स्य संघ को राजस्थान का अंग बनाया गया। 26 जनवरी 1950 को सिरोही रियासत भी वृहत्त राजस्थान में सम्मिलित हो गई तथा 1 नवम्बर 1956 को अजमेर तथा आबू को मिलाकर सिरोज तथा सुनलेटप्पा व मध्य आबू को मिलाकर उन्हें मध्य प्रदेश को हस्तान्तरित करके वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ तथा जयपुर को इसकी राजधान घोषित किया गया । राजस्थान का क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है जो भारत के क्षेत्रफल का 10.43 प्रतिशत है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत को सबसे बड़ा राज्य है। भारत को औद्योगिक सुदृढ़ करने वाले उद्योगिपत्तियों बिरला, बांगड़, सिंघानिया, तापड़िया, झुन्झुनूवाला, बजाज, सोमानी, पोद्दार आदि की राजस्थान जन्म स्थली रहा है। इसके बावजूद भी राजस्थान भारत के पिछड़े राज्यों की पंक्ति में खड़ा है। कृषि आधारित लद्यु एवं कुटीर उद्योग तेल–घानी उद्योग, गुड़ व खण्डसारी उद्योग, आटा उद्योग, दाल उद्योग, चावल उद्योग, हाथ–करघा, खादी ग्रामोद्योग, बंधाई, छपाई एवं रंगाई उद्योग, गोटा–किनारी उद्योग आदि है ।

पशुओं के उत्पाद पर आधारित लद्यु एवं कुटीर उद्योगों में चर्म उद्योग, हाथी दाँत का कार्य, पशुओं की हड्डी पीसने का उद्योग आदि है। वनों पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों में लकड़ी के विविध सामान के उद्योग, कागज उद्योग, बीड़ी उद्योग, दियासलाई उद्योग, कत्था, गोंद एवं लाख उद्योग आदि है। खनिज आधारित उद्योगों में संगमरमर उद्योग, इमारती पत्थर उद्योग, ग्रेनाइट उद्योग आदि है।

राजस्थान में अन्य लघु उद्योगों में ऊन उद्योग, रसायन उद्योग, इन्जीनियरिंग उद्योग आदि है। राजस्थान की हस्तकलाएँएवं हस्तशिल्प उद्योग में खुदाई एवं मीनाकारी तथा मूल्यवान रत्नों को तराशना, हाथी दाँत की वस्तुएँ, संगमरमर की मूतियाँ एवं कलात्मक सामान, लाख एवं कांच की चूड़ियाँ एवं कलात्मक सामान, कशीदाकारी, रंगाई, छपाई और बन्धेज के वस्त्र, ऊनी कम्बल, गलीचे एवं कालीन, चमड़े पर हस्तशिल्प लकड़ी पर नक्काशी का काम एवं खिलौने एवं सजावट का सामान आदि है।

स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक संघ एवं राज्य सरकार के द्वारा औद्योगिक विकास के प्रभावी प्रयास किये गये है। संघ सरकार द्वारा औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय एवं औद्योगिक क्षेत्र में अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना की। जिनमें प्रमुख रूप से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक लि., राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि., हिन्दुस्तान जिंक लि., हिन्दुस्तान कॉपर लि., हिन्दुस्तान मशीन टूल्स निगम आदि है। सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय इकाइयाँ आज भी राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है लेकिन औद्योगिक इकाइयाँ धीरे–धीरे घाटे में चल रही है। ये इकाइयाँ भी स्थापना से लेकर 1990 से पूर्व तक औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी लेकिन आज इनमें कर्मचारियों की संख्या, लाभदायकता एवं उत्पादन सभी में दिन प्रतिदिन कमी हो रही है और इन इकाइयों को निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी कर रही हैं।

राजस्थान सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय इकाईयाँ राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लि. (रीको), राजस्थान वित्त निगम, सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो, उद्योग निदेशालय, जिला उद्योग केन्द्र, राजस्थान लघु उद्योग निगम आदि हैं । राजस्थान सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयाँ हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर, गंगानगर शुगर मिल्स, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स, साल्ट वर्क्स डीडवाना एवं पंचभद्रा, टोंक में चमड़ा बनाने का कारखाना, स्टेट वूलन मिल्स, बीकानेर, वास्टेड वूलन मिल्स, लाडनूं एवं चुरू आदि है।

राजस्थान सरकार द्वारा रीको, राजस्थान वित्त निगम, जिला उद्योग केन्द्र, राजसिको एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करके राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ाने में योगदान दे रही है। औद्योगिक इकाइयाँ लगभग घाटे में चल रही है। रीको एवं राजस्थान वित्त निगम राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है, लेकिन राजसिको अपनी प्रभावी भूमिका निभाने में असमर्थ रहा है।

राजस्थान लद्यु उद्योग निगम : संगठन, प्रबन्ध एवं परिचालन नीतियों को वर्णित किया गया है। भारत सरकार ने स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से दिसम्बर 1947 में एक औद्योगिक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन ने एक प्रस्ताव द्वारा औद्योगिक शान्ति का सुझाव दिया और सिफारिश की कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के बीच स्पष्ट उद्योगों का विभाजन होना चाहिए। भारत सरकार ने 6 अप्रैल 1948 को अपनी पहली औद्योगिक नीति घोषित की। इस नीति में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का स्पष्ट विभाजन किया गया तथा अन्य औद्योगिक पहलुओं को भी स्वीकार किया गया। 1948 की औद्योगिक नीति में देश की परिस्थितियों, राष्ट्रीय लक्ष्यों और वैधानिक आवश्यकताओं में होने वाले परिवर्तनों आदि कारणों से संशोधन करना आवश्यक हो गया था। 1951 से 1956 तक भारत ने एक पंचवर्षीय योजना को पूरा कर भविष्य में विकास के लिए रास्ता तैयार किया। 1951 में उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम पास किया गया और उसके अन्तर्गत सरकार को औद्योगिक विकास का अनुभव प्राप्त हुआ। तत्कालीन सत्तारूढ़ काँग्रस ने राष्ट्र का लक्ष्य ''समाजवादी समाज'' की स्थापना घोषित किया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने के समय भारत का औद्योगिक विकास मुख्य रूप से उपभोक्ता वस्तु उद्योगों तक सीमित था और इनमें महत्वपूर्ण उद्योग–सूती वस्त्र, चीनी, नमक, साबुन, चमड़े का सामान तथा कागज उद्योग थे। कोयला, सीमेंट, इस्पात, ऊर्जा शक्ति, अलौह वस्तुएँ, रसायन इत्यादि मध्यवर्ती उद्योग भी थे परन्तु उनका उत्पादन कम था क्योंकि उनकी उत्पादन क्षमता (सीमेंट को छोड़कर) आवश्यकता से काफी कम थी। जहाँ तक पूंजीगत वस्तु उद्योगों का सवाल है, केवल शुरूआत भर की गई थी। औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से प्रथम पंचवर्षीय योजना कोई खास महत्वपूर्ण योजना नहीं थी। द्वितीय योजना के अंत तक देश में राष्ट्रीय स्तर पर अनेक वित्तीय निगमों की स्थापना हो चुकी थी । राज्य स्तर पर भी अनेक राज्यों द्वारा अनेक राज्य वित्त निगमों की स्थापना की जा चुकी थी । सन् 1960 के बाद राज्यों के औद्योगिक विकास की गति प्रदान करने के लिए राज्य वित्त आयोग के अतिरिक्त राज्य औद्योगिक विकास निगमों की आवश्यकता होने लगी। इसके फलस्वरूप सन् 1960 में सर्वप्रथम आन्ध्र प्रदेश एवं केरल में, सन् 1962 में महाराष्ट्र तथा गुजरात में तथा सन् 1965 में मध्य प्रदेश सहित अनेक राज्यों में औद्योगिक विकास निगमों की स्थापना की गयी। कुछ राज्यों में राज्य औद्योगिक विकास निगम के अतिरिक्त राज्य औद्योगिक विनियोग निगम भी क्रियाशील है और इनको मिलाकर ऐसे निगमों की संख्या 28 है। राज्य औद्योगिक विनियोग निगम केरल में 1960 में महाराष्ट्र में 1962 में कर्नाटक में 1964 में, मध्य प्रदेश में 1965 में तथा जम्मू कश्मीर में 1967 में स्थापित किये गये हैं।

राजस्थान लद्यु उद्योग निगम की स्थापना एक अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में की गई थी। राजसिको का यह उद्देश्य था कि राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, हैण्डीक्राफ्ट उत्पादों को सहायता प्रदान करना तथा उनके उत्पाद की विपणन व्यवस्था करना तथा निर्यात संवर्द्धन हेतू आवश्यक सुविधाएँ राज्य के उद्यामियों को प्रदान करना।

राजस्थान लघु उद्योग निगम का संचालन संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है। स्थापना का समय निगम में अध्यक्ष का पद होता था जिस पर राज्य का उद्योग मंत्री ही पदासीन होता था। इस प्रकार से यह परम्परा 1974 तक चलती रही और इसके पश्चात् जब इसका विरोध किया गया तो सरकार ने इस परम्परा को समाप्त कर दिया जिससे निगम में राजनैतिक हस्तक्षेप कम हुआ जो निगम के हित में है। वर्तमान में अध्यक्ष के पद पर शासकीय व्यक्ति ही पदासीन होता है। निगम में अध्यक्ष के पद पर उद्योग मंत्री को नियुक्त नहीं करने का निर्णय सरकार ने सार्वजनिक उपक्रम समिति की सिफारिशों के आधार पर किया। राजस्थान लघु उद्योग निगम का मुख्य उद्देश प्रदेश के औद्योगिकीकरण को बढ़ाना है। औद्योगीकरण के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम शासन द्वारा स्थापित एवं वर्तमान में स्वयं द्वारा संचालित, सार्वजनिक एवं लघु औद्योगिक क्षेत्र के उपक्रम को विकसित करने में सकारात्मक भूमिका निभाता है। राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा ऋण एवं अग्रिम कच्चा माल विभिन्न लघु औद्योगिक इकाइयों को रियासती दर पर उपलब्ध कराया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के लिए अंश पूँजी एवं ऋण की व्यवस्था स्वयं निगम को करनी पड़ती है। सामान्यतया राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा उन औद्योगिक इकाइयों के लिए ऋण एवं अग्रिम शीघ्र एवं आवश्यकतानुसार

उपलब्ध कराई जाती है जो लाभ का अर्जन कर रही हो। निगम राजस्थान सरकार के आदेश से नई तथा बीमार औद्योगिक इकाइयों को भी ऋण एवं अग्रिम सुलभ कराता है । सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के लिए निगम स्वयं अन्य संस्थाओं तथा राज्य सरकार से ऋण एवं अग्रिम प्राप्त करता है। इन औद्योगिक इकाइयों का संचालन निगम द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की सभी औद्योगिक इकाइयों की सफलता या असफलता अन्ततोगत्वा निगम एवं राज्य सरकार की नीतियों पर निर्भर करती है। निगम द्वारा लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों का ऋण एवं अग्रिम प्रदान करने के संबंध में अपने पार्षद सीमा नियाम एवं अन्तर्नियम में कोई विशेष प्रावधान नहीं दिये गये हैं। सामान्यतया किसी औद्योगिक इकाई को वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण दिये जाने के संबंध में जो सावधानियाँ बरती जाती है निगम भी उन्हीं शर्तो को दृष्टिगत रख कर ऋण स्वीकृत कर कच्चा माल उपलब्ध करता है। निगम ऋण स्वीकृत से पूर्व औद्योगिक इकाई की लाभदायकता, पुर्नभुगतान क्षमता, आर्थिक स्थिति एवं भविष्य की सफलता आदि बातों को दृष्टिगत रखकर ऋण स्वीकृत करता है ।

राजसिको द्वारा एस.एस.आई. (स्मॉल इन्डस्ट्रीज) औद्योगिक इकाइयों का संचालन किया जा रहा है।राजसिको द्वारा लघु औद्योगिक इकाइयों के उत्पादों का विपणन करके एवं एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जयपुर तथा इनलैण्ड कन्टेनर डिपो के माध्यम से निर्यात एवं आयात करता है।राजसिको द्वारा कोल की नई एवं पुरानी पंजीकृत इकाइयों, लोहा एवं स्टील उत्पाद करने वाली लघु औद्योगिक पंजीकृत इकाइयों तथा अन्य लद्यु उद्योग पंजीकृत इकाइयों के उत्पादों का विपणन करना एवं पंजीकृत लद्यु औद्योगिक इकाइयों को कच्चा माल तथा अन्य सहायता उपलब्ध करता है। राजसिको द्वारा संचालित पुरानी कोल इकाइयों की संख्या 41 है जो कुल औद्योगिक इकाइयों का 20.10 प्रतिशत हैं, तथा नई कोल इकाइयों की संख्या 94 है जो कुल औद्योगिक इकाइयों का 46.08 प्रतिशत है इसके साथ–साथ राजसिको एस.एस. आई. प्रोडक्ट्स औद्योगिक इकाइयों का भी संचालन करता है, जिनकी संख्या 69 है जो राजसिको द्वारा संचालन कुल औद्योगिक इकाइयों का 33.82 प्रतिशत है।

राजसिको के द्वारा लद्यु उद्योग एवं हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योगों के उत्पाद को राजस्थली विक्रय काउन्टरों के माध्यम से विपणन किया जाता है। भारत में राजस्थली एम्पोरियम जयपुर, नई दिल्ली, कोलकाता, उदयपुर, आगरा, माउन्ट आबू एवं अन्य काउन्टरों के माध्यम से विपणन किया जाता है। राजसिको द्वारा हस्तशिल्प को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वर्ष 1983 से पुरस्कृत करने की योजना हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई। राजसिको द्वारा राजस्थान हस्तशिल्पी एवं दस्तकार कल्याण कोष में से हस्तशिल्प से जुड़े कारीगरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। निगम द्वारा अन्तराष्ट्रीय व्यापार मेला के अतिरिक्त भारत में विभिन्न स्थानों यथा चेन्नई, ग्वालियर, गोआ, अमृतसर, चंडीगढ़ आदि में हस्तशिल्प प्रर्दशनियों का आयोजन किया गया। दिल्ली के प्रगति मैदान पर प्रतिवर्ष राजसिको एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। निगम द्वारा क्रय किये सामान का राजस्थली के माध्यम से विक्रय करने के अतिरिक्त हस्तशिल्पियों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के उद्देश्य से निगम द्वारा हस्तशिल्पियों को ''गुड्स ऑन अप्रूवल'' के आधार पर भी विक्रय सुविधा प्रदान की जाती है।

राजसिको द्वारा प्रदेश के आयात–निर्यात को बढ़ाने तथा प्रदेश के लघु उद्यमियों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से जोड़ने के लिए इनलैण्ड कन्टेनर डिपो, जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी और भीलवाड़ा में स्थापित किये गये तथा एयर कार्गो जयपुर की स्थापना की गई। वर्तमान समय में इनलैण्ड कन्टेनर डिपो भीलवाड़ा को घाटे में चलने के कारण बंद कर दिया गया है तथा शेष सभी इनलैण्ड कन्टेनर डिपो कार्य कर रहे है। एयर कार्गो जयपुर के माध्यम से भी आयात–निर्यात वर्तमान में चालू है। राजसिको द्वारा संचालित सभी इनलैण्ड कन्टेनर डिपो एवं एयर कार्गो द्वारा अनुकूल व्यापार संतुलन करने के बाद भी राजसिको अंधिकाशतः घाटे में रहा है।

फिर भी निगम द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को हानि के बाद भी चालू रखना चाहिए क्योंकि इनकी स्थापना अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत के आधार पर की जाती है जबकि घाटे में चल रही लघु औद्योगिक इकाइयों को बंद कर देना चाहिए या आवश्यक सुधार कर लाभ की ओर अग्रसर करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास करने चाहिए।

राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से आज भी बिहार, उड़ीसा के बाद सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है जबकि राजस्थान का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। राजस्थान को औद्योगिक दृष्टि से विकसित करने के लिए उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का विदोहन किया जाना आवश्यक है। राजस्थाने के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण प्राकृतिक साधनों का विदोहन नहीं करने का कारण राजनैतिक एवं क्षेत्रीय भेदभाव है। राजस्थान की औद्योगिक नीति भारत सरकार की औद्यागिक नीति के अनुरूप घोषित की जाती रही है। लघु एवं कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प कला उद्योग, हैण्डीक्राफ्ट उद्योग आदि के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जो नीतियां तैयार की जाती है वे व्यवहार में लागू नहीं होती है इसी कारण ये उद्योग आज भी पिछड़े उद्योगों की पंक्ति में खड़े हैं।

राजस्थान प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन की दृष्टि से सम्पन्न होते हुए भी औद्योगिक दृष्टि से विकसित नहीं है। क्योंकि प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग राज्य सरकार एवं उद्योगपतियों द्वारा राज्य हित में किया जाये तो प्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य हो सकता है।

राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए संघ एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की स्थापना की गई। लेकिन ये इकाइयां राजस्थान के औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभाने में असफल रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को राजनैतिक हस्तक्षेप एवं भ्रष्ट्राचार से मुक्त कर दिया जाये तो ये औद्योगिक इकाइयाँ राज्य के औद्योगिक विकास में सकारात्मक भूमिका निभा सकती है और स्वयं भी हानि के स्थान पर लाभ में परिवर्तित हो सकती हैं। राजसिको विगत दस वर्षो से राजनैतिक हस्तक्षेप एवं भ्रष्ट्राचार के कारण निरन्तर घाटे से जुझ रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजसिको के प्रबंध निदेशक के पद पर कभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तो कभी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जिसके परिणामस्वरूप निगम की नितियाँ बार–बार परिवर्तित होती रहती हैं। निगम के उच्चाधिकारी भी भाई भतीजावाद एवं अपने नजदीकी व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने के लिए उनके अनुकूल नीतियाँ तैयार करते हैं और उन्हें लाभ पहुँचाते हैं। यदि उपरोक्त कमियों को दूर कर दिया जाये तो राजसिको राज्य के औद्योगिक विकास में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है।

राजसिको के अधिकारियों के द्वारा एयर कार्गो एवं इनलैण्ड कन्टेनर डिपो पर नियुक्त कस्टम अधिकारीयों के साथ मिलीभगत कर कस्टम की चोरी कर सरकार को हानि पहुँचाते हैं एवं लघु उद्यमियों को इस कारण प्रतिदिन अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि राजसिको के अधिकारी ईमानदारी से कार्य करें तो राजसिको प्रदेश के लघु उद्यमियों को संरक्षण प्रदान कर औद्योगिक विकास में सकारात्मक भूमिका के लिए तैयार कर सकता है।

राजसिको के पास वित्तीय संसाधनों की कमी रही है। राज्य सरकार एवं वित्तीय संस्थाएं राजसिको को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराते है तो राजसिको की कार्यशील पूंजी में वृद्धि होगी जिसके परिणाम स्वरूप व्याापार का आवर्त बढ़ेगा और राजसिको नई–नई औद्योगिक इकायों को अपने साथ जोड़ कर उनके उत्पाद का भी विपणन करेगा।

राजसिको के द्वारा राजस्थान के लघु उद्यमियों के उत्पादों को निर्यात–आयत की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एयर कार्गो एवं इनलैण्ड कन्टेनर डिपो की स्थापना की गई है। राजसिको के द्वारा आयात–निर्यात करने वाले माल का विपणन सड़क एवं वायु यातायात के द्वारा किया जाता है। जिन उत्पादों का विपणन रोड़ यातायात द्वारा किया जाता है उनकी लागत अधिक आती है। भारत सरकार द्वारा इनलैझड कन्टेनर डिपो कॉन कॉर कनकपुरा, जयपुर में स्थापित किया गया है जिसमें राजस्थान लद्यु उद्योग के उत्पाद का विपणन रेल यातायात द्वारा किया जाता है जिसकी लागत राजसिको के इनलैण्ड कन्टेनर डिपो की लागत की आधी होती है तथा माल भी कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचता है। यही कारण है कि राजसिको घाटे में चल रहा है।

राजसिको द्वारा संचालित इनलैण्ड कन्टेनर डिपो तथा एयर कार्गो पर लघु उद्यमियों के द्वारा रखे जाने वाले माल किराये की दर इनलैण्ड कन्टेनर डिपो कॉन कॉर कनकपुरा, जयपुर से अधिक है इस कारण अधिकांश उद्यमियों द्वारा माल का विपणन इनलैण्ड कन्टेनर डिपो कॉन कॉर कनकपुरा, जयपुर द्वारा किया जाता है।

राजसिको निरन्तर घाटे में चल रहा है इससे स्पष्ट है कि निगम के द्वारा संचालित नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। राजसिको के द्वारा राजस्थली एम्पोरियम के नाम से विक्रय केन्द्र देश के विभिन्न स्थानों पर संचालित किये जा रहे हैं जो निरन्तर लाभ में चल रहे हैं तथा इनके द्वारा विक्रय किये जाने वाले उत्पादों की मांग एवं बिक्री दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारत में आने वाले पर्यटक राजसिको के द्वारा संचालित राजस्थली एम्पोरियम विक्रय केन्द्रों से आवश्यक सामान क्रय करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इन विदेशी पर्यटकों का राजस्थली एम्पोरियम में अटूट विश्वास है। राजसिको प्रबंधकों को विश्व के विभिन्न देशों एवं भारत के विभिन्न शहरों में नये राजस्थली एम्पोरियम खोलकर राजसिकों के घाटे को कम करने का प्रयास करना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. लक्ष्मीनारायण नाथूरामका राजस्थान की अर्थव्यवस्था, कॉलेज बुक हाऊस, 2013 जयपुर
2. हेतसिंह बघेला, राजस्थान का सांक्षेप्त इतिहास, रिसर्च पब्लिकेशन्स, 1993 जयपुर ।
3. प्रकाश नारायण नाटाणी, अपना राजस्थान, पिंकसिटी पब्लिकशर्स 1995 जयपुर ।
4. मिश्र पुरी, भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाऊस, 1998 मुम्बई ।
5. आर्थिक समीक्षा, भारत सरकार, 2012, जयपुर ।
6. आर्थिक समीक्षा, राजस्थान सरकार, 2012–13, नई दिल्ली ।
7. वार्षिक प्रतिवेदन, राजस्थान वित्त निगम, जयपुर ।
8. पार्षद सीमानियम एवं अन्तर्नियम, राजस्थान लघु उद्योग निगम लि. फार्म आई. आर.

♦❑♦